

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

N 482563

अनुबंध – पत्र

यह अनुबंध पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव तथा अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर की ओर से डायरेक्टर संज्ञा टंडन के मध्य किया जा रहा है यह अनुबंध 22/10/2020 को निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशाली होगा :-

- यह कि पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अकादमिक व्याख्यान, प्रवेश के लिए सूचना, विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं परिणाम व अन्य जानकारियों का जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अथवा प्रवेशित छात्र-छात्रों को दिये जाने के लिए अरपा कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण कार्य का प्रतिघण्टा रू. 1000/- और महिने में अधिकतम 20,000 रू. मात्र पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो को प्रदाय किया जावेगा।
- प्रसारण का समय दिन में घण्टा (दोपहर - 12.00 से 01.00 बजे तक) किया जावेगा। प्रसारण एक महिने में अधिकतम 20 दिन के लिए होगा। यह अनुबंध होने की तिथि से 05 माह तक के लिए किया जा रहा है। आवश्यक होने पर सेवा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
- यह कि कार्यक्रमों की रिकार्डिंग एवं एडिटिंग अरपा रेडियो के द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा सम्पन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो के संसाधनों के उपयोग का ही (अधिकतम रू. 20,000/-) राशि प्रदाय किया जायेगा।
- कोई भी पक्ष इस अनुबंध को एक माह की पूर्व सूचना पर ही समाप्त कर सकता है। आखिरी में किसी भी विवाद की स्थिति में पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

पक्षकार क्रं.

1.

2.

पक्षकार क्रं. -2

1.

2.

LIBRA WELFARE SOCIETY
BILASPUR (C.G.)

गवाह

1.

2.

गवाह

1.

2.

Reshambal Powelham,
Asst. Prof., PSEU Chhattisgarh

10 NOV 2020

10820

कीमत

100

5

प्राप्तकर्ता

अपारेडिया

बिलासपुर

नाम

पं. उन्मल लाल शर्मा / कृषि विज्ञान विद्यालय (आ.वि.)

नाम

अतीश पी. शर्मा

वत्स श्री

निवासी

तहसील

वास्तु, दस्तावेज

अ = 544

कीमत

100

प्राप्तकर्ता

(Signature)

श्रीमति आयशा खान
स्टाम्प वेन्डर
तहसील परिसर, बिलासपुर (छ.ग.)



LIBRA WELFARE SOCIETY
BILASPUR (C.G.)

अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव तथा अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर की ओर से डायरेक्टर संज्ञा टंडन के मध्य किया जा रहा है यह अनुबंध 22/10/2020 को निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशाली होगा :-

- यह की पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अकादमिक व्याख्यान, प्रवेश के लिए सूचना, विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं परिणाम व अन्य जानकारियों का जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अथवा प्रवेशित छात्र-छात्राओं को दिये जाने के लिए अरपा कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण कार्य का प्रतिघण्टा 100/- और महिने में अधिकतम 20,000 रु. मात्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो को प्रदाय किया जावेगा।
- प्रसारण का समय दिन में एक घण्टा (दोपहर - 12:00 से 01:00 बजे तक) किया जावेगा। प्रसारण एक महिने में अधिकतम 20 दिन के लिए होगा। यह अनुबंध होने की तिथि से 5 माह तक के लिए किया जा रहा है। आवश्यक होने पर सेवा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
- यह की कार्यक्रमों की रिकार्डिंग एवं एडिटिंग अरपा रेडियो के द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा सम्पन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो के संसाधनों के उपयोग का ही (अधिकतम रु. 20,000/-) राशि प्रदाय किया जायेगा।
- कोई भी पक्ष इस अनुबंध को एक माह की पूर्व सूचना पर ही समाप्त कर सकता है। आखिरी में किसी भी विवाद की स्थिति में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

पक्षकार क्रं. 1. 

1. _____

2. _____

पक्षकार क्रं. - 2

1. 

2. _____

LIBRA WELFARE SOCIETY
LIBRA WELFARE SOCIETY
LIBRA WELFARE SOCIETY
BILASPUR (C.G.)


गवाह

1. 

2. _____

गवाह

1. _____

2. 

Reshmal Bhatn
Asst. Prof., person



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

N 467866

अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव तथा नंदकिशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्री कृष्णा राइस मिल कम्पाउंड, मुंगेली रोड बिलासपुर (छ.ग.), पिन 495001 के मध्य किया जा रहा है। यह अनुबंध 01.03.2021 को निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशील होगा।

- यह कि, पं. सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अकादमिक व्याख्यान व अन्य जानकारीयों को प्रवेशित छात्र-छात्राओं को विडियो के माध्यम से दी जानी है। यह विडियो नंदकिशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उनके स्टुडियो में होना है।
- यह विडियो रिकॉर्डिंग 47 (सैतालिस) व्याख्यान के लिए की जा रही है। आवश्यक होने पर व्याख्यान की संख्या बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय कार्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- कोई भी व्याख्यान अधिकतम 30 मिनट तक होगा।
- यह कि, कार्यक्रम/व्याख्यान की रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग नंदकिशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा संपन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा नंदकिशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संसाधनों के उपयोग का ही (अधिकतम रूपया 1800/-प्रति व्याख्यान) राशि प्रदान किया जाएगा।
- कोई भी पक्ष इस अनुबंध को एक माह की पूर्व सूचना पर ही समाप्त कर सकता है। आखिरी में किसी भी विवाद की स्थिति में पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
- व्याख्यान अवधि 01 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 में संपन्न होगी।

पक्षकार क्रमांक

1

पक्षकार क्रमांक

1

2

गवाह :-

1

2